सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना में 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारियो का सत्यापन किया जा रहा है।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक उम्र के सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्वा पेंशन प्राप्त कर रहे है। उनके सत्यापन के लिए नगर निगम भिलाई के जोन सुपरवाईजर, शहरी अजीविका मिशन की सी.ई.ओ. एवं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता घर-घर जाकर परीक्षण कर रही है। संबंधित सभी 1711 हितग्राहियो के खाते में पेशन डी.बी.टी के माध्यम से एकाउन्ट बेस पे जा रहा है। कलेक्टर महोदया के आदेशानुसार आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर हितग्राही के घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। जिसमें हितग्राही से आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कापी एवं राशन कार्ड की सत्यापित प्रति सहित वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ के साथ मांगा जा रहा है। जोन-5 के पेंशन सुपरवाईजर रेखराम भारती, जोन-4 के बोधन सिंह साहू, जोन-3 के दानी लाल मछिरके जोन-2 के अनुप सिन्हा, जोन-1 के संतोष हरमुख का कहना है की हम घरो में जाते है संबंधित हितग्राही घर में नहीं मिलते या तो गांव चले गये या घर छोड़ दिये है कोई भी वास्तविक जानकारी बताने वाला नहीं रहता यह भी देखने मे आ रहा है कि कुछ परिवार के सदस्य के लोग हितग्राही का एटीएम बना लिये है चोरी छिपे पैसा निकाल लेते है मंतूराम बघेल बुजुर्ग बता रहे थे कि मेरे खाते मे पैसा नही आ रहा है चेक करने पे पता चला उनका छोटा बेटा एटीएम से पैसा निकाल लेता है। प्राप्त आदेशानुसार हम लोग घर घर जाकर संबंधित हितग्राही से मिल रहे है और परीक्षण कर रहे है। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी वृद्वा पेंशन प्राप्त कर रहे हितग्राही एवं उनके परिवार जनो से अपील की है की अपने यहां के पेशनधारी ही वास्तविक जानकारी देवे जिससे उनका पेंशन डी.बी.टी के माध्यम से खाते में निरंतर जाती रहे। पेंशन डी.बी.टी के माध्यम से खाते में निरंतर जाती रहे।